क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1904/OA No- 425/2023 दिनांक 19.12.23

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाउस, कापरनिकस मार्ग
दिल्ली–110001

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 जिसकी आगामी सुनवाई तिथि 21.12.2023 नियत है। उक्त पारित आदेश के अनुक्रम में ईंट भट्ठों का नवीनतम स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 26.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पाये गये **(निरीक्षण आख्या संलग्नक–1 के रूप में संलग्न)**। बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी ईंट भट्ठे संचालित होने के कारण उक्त ईंट भट्ठों मै0 सरपंच ईंट उद्योग, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध रू0 75,000/–, मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध रू0 25,000/–, मै0 फेमस ब्रिक्स, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध 1,75,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड द्वारा अधिरोपित की गयी है **(संलग्नक–2)**। बोर्ड मुख्यालय द्वारा जनपद–कासगंज में उल्लंधनकारी उद्योगों की सूची संलग्न कर उद्योगों के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, कासगंज से बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच03025 दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी, कासगंज को प्रेषित सूची में उक्त तीनों ईंट भट्ठों का नाम भी अंकित है **(संलग्नक–3)**। कार्यालय के पत्र संख्या–1900 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से जिलाधिकारी, कासगंज को प्रेषित सूची में अंकित तीनों ईंट भट्ठों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भू–राजस्व विभाग की भांति वसूली भी किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है **(सलग्नक–4)**।

उपरोक्त समस्त प्रपत्रों एवं निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, बी–235, सेक्टर–19, नोएडा।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.com

संलग्नक -1

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1524/OA-425/22/2023 दिनांक 02.11.23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-425/2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-425/2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के अनुपालन में निम्नलिखित ईट भट्ठों का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 26.10.2023 को किया गयाः-

1. मै0 उजाला ब्रिक्स (अक्षांश-27.747814 देशान्तर-78.893979) ग्राम-रायो रामछितौनी, पोस्ट-गढ़का, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज।
2. मै0 सरपंच ईट उद्योग, (अक्षांश-27.747277 देशान्तर-78.910874), वर्तमान नाम मै0 सरपंच ब्रिक्स, ग्राम-रामछितौनी, पोस्ट-गढ़का, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज।
3. मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, (अक्षांश-27.747432 देशान्तर-78.906299), ग्राम-रामछितौनी, पोस्ट-गढ़का, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज।
4. मै0 फेमस ब्रिक्स, (अक्षांश-27.749965 देशान्तर-78.918164), गाटा संख्या-8, ग्राम-खरपरा, थाना-गंजडुड़वारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज।

उक्त ईट भट्ठों की निरीक्षण आख्याऐं पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित।

संलग्नक :उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को निरीक्षण आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2 श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, बी-235, सेक्टर-19, नोएडा।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

AEE LETTER 2023

मै0 उजाला ब्रिक्स (अक्षांश–27.747814 देशान्तर–78.893979) ग्राम–रायो रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज की निरीक्षण आख्या– 19

उपरोक्त ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 26.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री भगवान सिंह (मुनीम) एवं श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रोशन सिंह (पार्टनर) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त ईट भट्ठे का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम. सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं ओ.ए. संख्या–837/2022 सुन्तेरा सिंह यादव बनाम उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में विचाराधीन है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। ईट भट्ठा नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित पाया गया।
3. निरीक्षण के समय ईट भठ्ठा 19 पाये, घाटी 08 का पाया गया। ईट भट्ठे का आकार गोल पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे पर कच्ची/पक्की ईटें नही पायी गयी। ईट भट्ठा परिसर में लगभग–10 कुन्तल लकड़ी एकत्रित पायी गयी।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे का पूर्व में नाम मै0 श्री बालाजी ईट उद्योग था, जो कि वर्ष–2011 से स्थापित/संचालित है।
6. ईट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईट का उत्पादन किया जाना है।
7. ईट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
8. ईट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
9. ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी का प्रयोग लगभग 3 टन/दिन किया जाता है। ईट भट्ठे में कोयला/लकड़ी के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्ठे में कोयला/लकड़ी के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।
10. उक्त ईट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–108298 एवं 108297 दिनांक 28.10.2020 के माध्यम से दिनांक 31.07.2023 तक सहमति (जल/वायु) निर्गत किया गया है। ईट भट्ठे का सहमति (जल/वायु) आवेदन प्राप्त नही है।
11. सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच80619 दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
12. ईट भठ्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–2945 दिनांक 20.02.2023 के माध्यम से सहमति (जल/वायु) रिवोक की गयी है।
13. उक्त ईट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–एच89504 दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है।
14. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी., प्लेटफार्म स्थापित पाये गये, किन्तु पोर्टहोल की स्थापित नही पाया गाया।
15. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नही पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

31/10/23

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(अजय कुमार)
सहा0पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

M.C. DWEDI-2023

मै0 सरपंच ईट उद्योग, (अक्षांश–27.747277 देशान्तर–78.9[illegible]74), वर्तमान नाम मै0 सरपंच ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज की निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त ईंट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 26.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री सतेन्द्र सिंह (मुनीम) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त ईट भट्ठे का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम. सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं ओ.एं. संख्या–837/2022 सुन्तेरा सिंह यादव बनाम उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में विचाराधीन है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नही पाया गया। ईट भट्ठा नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे वर्ष–2010 से स्थापित/संचालित है।
4. उक्त ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही है।
5. निरीक्षण के समय ईट भठ्ठा 19 पाये, घाटी 08 का पाया गया। ईट भट्ठे का आकार गोल पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी।
6. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाना है।
7. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
8. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
9. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्ठे में ईधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।
10. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी., प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की स्थापित पायी गयी।
11. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नही पाया गया।
12. बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच63517 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है।
13. इस कार्यालय के पत्र संख्या–2722 दिनांक 31.01.2023 के माध्यम से उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध रू0 37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को की गयी है।
14. सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच89103 दिनांक 14.02.2023 के माध्यम से रू0 75,000/– की पर्यारणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। ईट भट्ठे के द्वारा वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा किये जाने की सूचना इस कार्यालय में नही दी गयी है।
15. इस कार्यालय के पत्र संख्या–1451 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या–58/अध्यक्ष कैम्प/2023 दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में उक्त ईट भट्ठा पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु भू राजस्व की भांति आर.सी. (रिकवरी सर्टीफिकेट) जारी किये जाने के लिए जिलाधिकारी महोदय, कासगंज को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

31/10/23

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(अजय कुमार)
सहा0पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

M.C. DWEDI-2023

मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, (अक्षांश–27.747432 देशान्तर–78.906299), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज की निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त ईंट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 26.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री अतीक (मुनीम) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त ईट भट्ठे का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम. सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी. एवं ओ.एं. संख्या–837/2022 सुन्तेरा सिंह यादव बनाम उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में विचाराधीन है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नही पाया गया। ईट भट्ठा नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे वर्ष–2021 से स्थापित/संचालित है।
4. उक्त ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही है।
5. निरीक्षण के समय ईट भठ्ठा 27 पाये, घाटी 08 का पाया गया। ईट भट्ठे का आयताकार आकार पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी।
6. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाना है।
7. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
8. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
9. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्ठे में ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।
10. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी., प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की स्थापित पायी गयी।
11. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नही पाया गया।
12. बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच80784 दिनांक 07.09.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है।
13. इस कार्यालय के पत्र संख्या–2723 दिनांक 31.01.2023 के माध्यम से उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध रू0 12,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को की गयी है।
14. सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच89109 दिनांक 14.02.2023 के माध्यम से रू0 25,000/– की पर्यारणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। ईट भट्ठे के द्वारा वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा किये जाने की सूचना इस कार्यालय में नही दी गयी है।
15. इस कार्यालय के पत्र संख्या–1448 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या–58/अध्यक्ष कैम्प/2023 दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में उक्त ईट भट्ठा पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु भू राजस्व की भांति आर.सी. (रिकवरी सर्टीफिकेट) जारी किये जाने के लिए जिलाधिकारी महोदय, कासगंज को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

31/10/23
(अजय कुमार)
सहा0पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

M.C. DWEDI-2023

मै0 फेमस ब्रिक्स, (अक्षांश–27.749965 देशान्तर–78.9[illegible]4), गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज की निरीक्षण आख्या।

उक्त ईंट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 26.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री अब्दुल खलीक (पार्टनर) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त ईट भट्ठे का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम. सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं ओ.एं. संख्या–837/2022 सुन्तेरा सिंह यादव बनाम उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में विचाराधीन है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नही पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा परिसर में कोयला लगभग–15 टन, लकड़ी लगभग–50 कुन्तल भण्डारित पायी गयी।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे वर्ष–2022 से स्थापित है। ईट भट्ठा नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित है।
4. उक्त ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही है।
5. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाता है।
6. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
7. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
8. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्ठे में ईधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।
9. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी., प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की स्थापित पायी गयी।
10. बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच80617 दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है,
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–2736 दिनांक 31.01.2023 के माध्यम से उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध रू0 87,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को की गयी है।
12. सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच89108 दिनांक 14.02.2023 के माध्यम से रू0 1,75,000/– की पर्यारणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। ईट भट्ठे के द्वारा वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा किये जाने की सूचना इस कार्यालय में नही दी गयी है।
13. इस कार्यालय के पत्र संख्या–1449 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या–58/अध्यक्ष कैम्प/2023 दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में उक्त ईट भट्ठा पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु भू राजस्व की भांति आर.सी. (रिकवरी सर्टीफिकेट) जारी किये जाने के लिए जिलाधिकारी महोदय, कासगंज को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

31/10/23
(अजय कुमार)
सहा0पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

M.C. DWEDI-2023

सलंग्नक-2

20/7/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H89109 /सी–4/ईट–1042/पर्या0क्षति0/2023

दिनांक : 14-7-23

सेवा में,

मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड,
ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–837/2022 सुन्तेरा सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 23.01.2023 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री इसरत अली (मुनीम) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच80794/सी–4/ईट–1043/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 07.09.2022 के माध्यम से मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति पत्र संख्या–2723/केडी–104/2023 दिनांक 31.01.2023 में दिनांक 23.01.2023 से दिनांक 23.01.2023 तक कुल 01 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार 12,500/– प्रतिदिन की दर से 01 दिवस हेतु कुल रू0 12,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

उल्लंघनकारी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–1.3.1 (g) में उल्लिखित है कि :–

g. In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 31.01.2023 के दृष्टिगत मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू0 25,000/– प्रतिदिन गणना के आधार पर कुल रू0 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

20/7/23

प्रभारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संदर्भित उद्योग की मूल प्रतियां एवं पूर्ण विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav
प्रभारी, वृत्त–4

Forward
20/7/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H89108 /सी–4/ईट–1041/पर्या0क्षति0/2023 दिनांक : 14-02-23

सेवा में,

मै0 फेमस ब्रिक्स,
गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–837/2022 सुन्तेरा सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 23.01.2023 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री अब्दुल खलीक (पार्टनर) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच80617/सी–4/ईट–1041/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति पत्र संख्या–2736/एनओसी–3121/2023 दिनांक 31.01.2023 में दिनांक 17.01.2023 से दिनांक 23.01.2023 तक कुल 07 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार 12,500/– प्रतिदिन की दर से 07 दिवस हेतु कुल रू0 87,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

उल्लंघनकारी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–1.3.1 (g) में उल्लिखित है कि :–

g. In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 31.01.2023 के दृष्टिगत मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू0 25,000/– प्रतिदिन गणना के आधार पर कुल रू0 1,75,000/– (रूपये एक लाख पिचत्तहर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 1,75,000/– (रूपये एक लाख पिचत्तहर हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

20/2/23

प्रभारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संदर्भित उद्योग की मूल प्रतियां एवं पूर्ण विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav
प्रभारी, वृत्त–4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H87107 /सी–4/ईट–1176/पर्या0क्षति0/2023 दिनांक : 14-02-23

सेवा में,

मै0 सरपंच ईट उद्योग, (वर्तमान नाम–मै0 सरपंच ब्रिक्स),
ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–837/2022 सुन्तेरा सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 23.01.2023 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (मुनीम) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच63517/सी–4/सामान्य–II–758/बन्दी /2021, दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से मै0 सरपंच ईट उद्योग, (वर्तमान नाम–मै0 सरपंच ब्रिक्स), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति पत्र संख्या–2722/केएस–167/2023 दिनांक 31.01.2023 में दिनांक 21.01.2023 से दिनांक 23.01.2023 तक कुल 03 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार 12,500/– प्रतिदिन की दर से 03 दिवस हेतु कुल रू0 37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

उल्लंघनकारी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–1.3.1 (g) में उल्लिखित है कि :–

g. In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 31.01.2023 के दृष्टिगत मै0 सरपंच ईट उद्योग, (वर्तमान नाम–मै0 सरपंच ब्रिक्स), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू0 25,000/– प्रतिदिन गणना के आधार पर कुल रू0 75,000/– (रूपये पिचत्तहर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 75,000/– (रूपये पिचत्तहर हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

प्रभारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संदर्भित उद्योग की मूल प्रतियां एवं पूर्ण विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav
प्रभारी, वृत्त–4

संलग्नक-3

29/11/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.: 3025 सी-5/सा-159/पर्या०क्षति०/2023 Dated : 17/11/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कासगंज।

विषयः <u>जनपद–कासगंज (सूची संलग्न) के उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया जनपद–कासगंज के उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जो इकाइयों को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित हैं। उक्त पत्रों के माध्यम से इकाईयों के विरूद्ध संलग्न सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित इकाईयों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू–राजस्व की भाँति वसूली करते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150** में जमा कराकर बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कासगंज से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

T.C.-12V., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

संलग्नक-4

27

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1900/OA No- 425/23 दिनांक 19.12.23

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
कासगंज।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच03025/सी–4/सा–159/पर्या0क्षति0/2023 दिनांक 17.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) के साथ संलग्न सूची में वर्णित इकाईयों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू–राजस्व के भांति वसूली कराते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित खाते में जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया है। संलग्न सूची में से निम्नलिखित तीन भट्ठों का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में विचाराधीन हैः–

1. M/s Daimond Brick Field, Vill- Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh- Sahawar, Distt-Kashganj.
2. M/s Sarpanch Ent Udyog (Vartman Name- M/s Sarpanch Bricks), Vill-Ramchhitoni, Po- Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj.
3. M/s Famous Bricks, Gata No.8, Vill-Kharpara, Thana- Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj.

अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित उक्त तीन ईट भट्ठों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू–राजस्व के भांति वसूली कराने एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 IFCS CODE UBIN0570150 में जमा कराने तथा बोर्ड को सूचित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें:–

S. No	District	Name and Address of Industry	Environmental Compensation Imposed (In Rs.)	Date of Letter Issued
1	Kasganj	M/s Daimond Brick Field, Vill- Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	25000	H-89109/C-4/Ent- 1042/EC/2023 Date 14.02.2023
2	Kasganj	M/s Sarpanch Ent Udyog (Vartman Name- M/s Sarpanch Bricks), Vill-Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	75000	H-89103/C-4/Ent- 1176/E.C/2023 Date 14.02.2023
3	Kasganj	M/s Famous Bricks, Gata No.8, Vill-Kharpara, Thana- Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	175000	H-89108/C-4/Ent- 1041/EC/2023 Date 14.02.2023

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को मयसंलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कासगंज।
2. उपजिलाधिकारी तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

AEE LETTER 2023

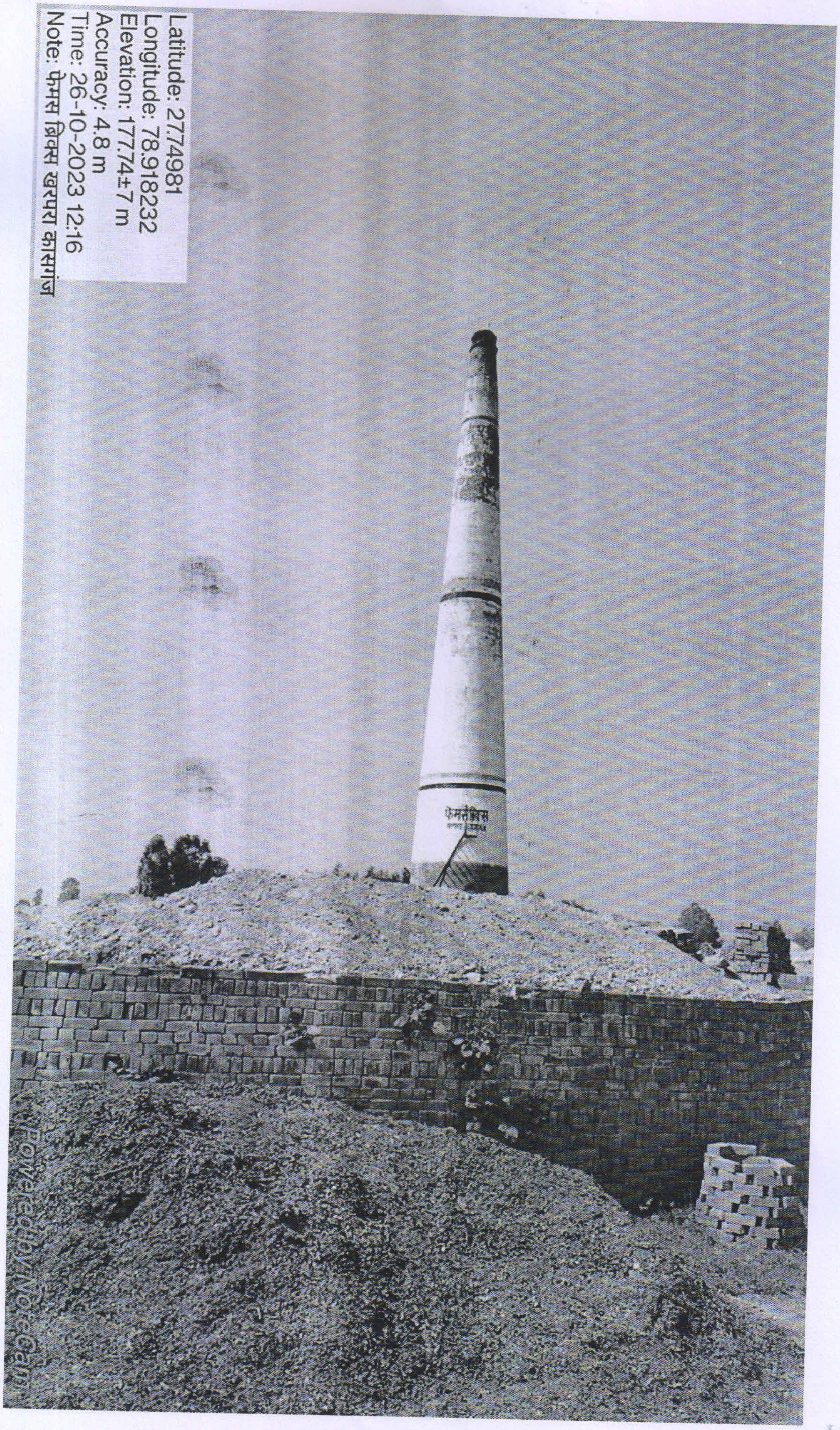
Latitude: 27.74981
Longitude: 78.918232
Elevation: 177.74±7 m
Accuracy: 4.8 m
Time: 26-10-2023 12:16
Note: फेमस ब्रिक्स खरपरा कासगंज
Powered by NoteCam

Latitude: 27.747434
Longitude: 78.910378
Elevation: 179.4±10 m
Accuracy: 7.7 m
Time: 26-10-2023 12:10
Note: सरपंच ईंट उद्योग रामचितोनी

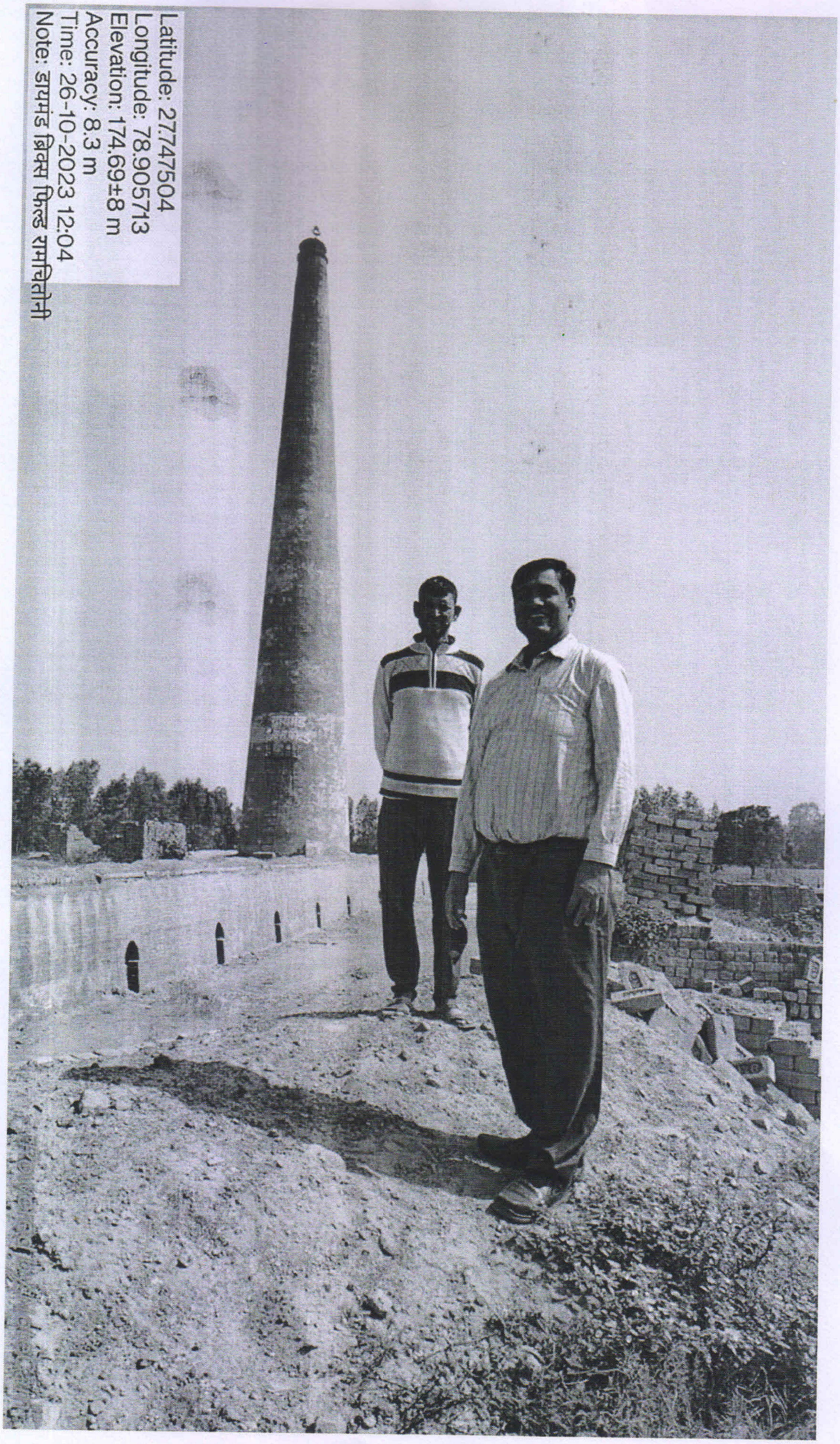
Latitude: 27.747504
Longitude: 78.905713
Elevation: 174.69±8 m
Accuracy: 8.3 m
Time: 26-10-2023 12:04
Note: डायमंड ब्रिक्स फिल्ड रामचितोनी

Latitude: 27.747559
Longitude: 78.894097
Elevation: 190.84±10 m
Accuracy: 3.8 m
Time: 26-10-2023 11:50
Note: जे पी ईंट भट्ठा ग्राम सायौ पोस्ट गड़वा सहावर कासगंज
जे.पी. ईंट भट्ठा
जे.पी.
Powered by NoteCam